रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265431
CG-DL-E-14082025-265431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3626] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 3626] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3718(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसकेपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् किमहाराष्ट्र राज्य के हिंगोलीजिलेके मालेगांव तालूका कळमनुरी मेंराष्ट्रीय राजमार्गसंख्या.161 के कि.मी. 139.600 से कि.मी. 180.600 तक (वसपांगरा से वारंगाफाटा खंड) का निर्माण (चौडाकरने/चार लेन का बनानेआदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमिअपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग कीउप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थातउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळमनुरी को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसरदेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने केपश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यातो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांकन और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.161 के कि.मी.139.600 से कि.मी.180.600 तक (वसपांगरा से वारंगाफाटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विविरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: हिंगोली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कलमनुरी					
गांव का नाम: मालेगाँव					
1	10	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
				Total	0.004

[फा. सं. NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3718(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 161 in the stretch of land from Km 139.600 to Km. 180.600 (Vaspangra to Warangaphata Section) in village Malegaon Taluka Kalamnuri in the District of Hingoli in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Competent Authority, Sub-Divisional & Land Acquisition Officer, Kalamnuri writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 139.600 Km. 180.600 (Vaspangra to Warangaphata Section) of National Highway - 161 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			**District: HINGOLI**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Kalamnuri					
Village: Malegaon					
1	10	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
				Total	**0.004**

[F. No. NHAI/PIU/Ned/LA/NH-161/2016/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2025.08.14 19:50:46 +05'30'